

कार्यालय नजूल अधिकारी नजूल वृत्त एम0पी0नगर भोपाल

क्रमांक / 68 / नजूल / बी-121 / 15-16

भोपाल दिनांक 02/09/2016

प्रति,

श्रीमती किरण अग्रवाल पत्नि श्री संजीव अग्रवाल,
द्वारा भागीदार मेसर्स अग्रवाल कन्स्ट्रक्शंस,
पता - 250, सागर प्लाज़ा जोन-2, एम0पी0नगर भोपाल,

विषय :- अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत।

—00—

आपके द्वारा ग्राम जाटखेड़ी स्थित भूमि ख.क. 72/क/1 रकबा 0.206, 72/क/2 रकबा 0.141, 72/1/क रकबा 0.032, 72/1/ख रकबा 0.036, 72/1/1 रकबा 0.154, 72/1/2 रकबा 0.154, 72/1/3 रकबा 0.198, 72/2/2/क रकबा 0.109, 72/2/2/ख रकबा 0.101 72/2/2/ग रकबा 0.093, 72/2/2/ड रकबा 0.101, 72/3/1 रकबा 0.134, 72/3/2 रकबा 0.134, 72/3/3 रकबा 0.134, 72/3/4 रकबा 0.134,, 72/3/5 रकबा 0.138, 72/3/6 रकबा 0.1348, 72/3/7 रकबा 0.138, 72/4/1/घ रकबा 0.202, 72/4/1/ज रकबा 0.065, 72/5/1/1 रकबा 0.235, 72/5/1/8 रकबा 0.065, 73, 171/72, कुल रकबा 2.842 हेक्टेयर का नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है। उक्त भूमि वर्ष 1959 में निजी स्वत्व एवं वर्तमान वर्ष की खसरा नकल अनुसार आपके नाम दर्ज है। अपर तहसीलदार प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम जाटखेड़ी स्थित भूमि ख.क. 72/क/1 रकबा 0.206, 72/क/2 रकबा 0.141, 72/1/क रकबा 0.032, 72/1/ख रकबा 0.036, 72/1/1 रकबा 0.154, 72/1/2 रकबा 0.154, 72/1/3 रकबा 0.198, 72/2/2/क रकबा 0.109, 72/2/2/ख रकबा 0.101 72/2/2/ग रकबा 0.093, 72/2/2/ड रकबा 0.101, 72/3/1 रकबा 0.134, 72/3/2 रकबा 0.134, 72/3/3 रकबा 0.134, 72/3/4 रकबा 0.134,, 72/3/5 रकबा 0.138, 72/3/6 रकबा 0.1348, 72/3/7 रकबा 0.138, 72/4/1/घ रकबा 0.202, 72/4/1/ज रकबा 0.065, 72/5/1/1 रकबा 0.235, 72/5/1/8 रकबा 0.065, 73, 171/72, कुल रकबा 2.842 हेक्टेयर का नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है :-

1. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से विकास अनुज्ञा एवं अभिन्यास अनुमोदन हेतु जारी की जा रही है।
2. विकास अनुज्ञा एवं अभिन्यास अनुमोदन प्राप्त किए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण एवं अन्य प्रयोजन के लिए यह अनापत्ति प्रमाण पत्र शून्य होगी।
3. भवन निर्माण कि पूर्व नगर निगम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
4. आस-पास व शासकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया जावेगा।
5. किसी भी न्यायालय में पूर्व से वाद होने/वाद दायर होने पर यह अनापत्ति स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
6. आवासीय भवन निर्माण से भिन्न किसी श्रेणी का निर्माण प्रतिबंधित होगा।
7. शासकीय राजस्व प्रतिवर्ष जमा करना होगा।
8. मास्टर प्लान में निर्धारित मार्गों/वृक्षारोपण हेतु सुरक्षित भूमि पर किसी भी प्रकार का अवरोध या निर्माण प्रतिबंधित होगा।


9. नगर निगम से भवन निर्माण के पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करना होगा।
10. भवन निर्माण के लिए नियमानुसार आवश्यक अन्य सभी अनुमतियाँ भवन निर्माण के पूर्व प्राप्त करना होगा।
11. वर्तमान में लागू/भविष्य में होने वाले सभी नियमों, आदेशों, संशोधनों का पालन करना अनिवार्य होगा।
12. यह अनापत्ति को भूमि स्वामित्व का दस्तावेज न समझा जावे।
13. रेल्वे से लगी हुई भूमि पर 30 मीटर के दायरे में आने वाली भूमि पर किये जाने वाले निर्माण पर रेल प्रशासन से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्तों के उल्लंघन होने पर यह अनापत्ति निरस्त (शून्यवत) मानी जावेगी।


उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्तों के उल्लंघन होने पर यह अनापत्ति निरस्त(शून्यवत) मानी जावेगी।



राज्य की शिक्षक
एम.पी. नगर वृत्त भोपाल
महाराणा प्रताप नगर वृत्त
शिवाजी नगर, भोपाल /



तहसीलदार
एम.पी. नगर वृत्त भोपाल
एम.पी. नगर वृत्त, भोपाल



नजूल अधिकारी
02/09/16
एम.पी. नगर वृत्त भोपाल
एम.पी. नगर
वृत्त-भोपाल

